**संख्या-02/2019-235/58-2019-429/2015**

प्रेषक,

**सुधीर गर्ग,**
**प्रमुख सचिव**,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
**उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग**,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**उद्यान अनुभाग** **लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी, 2019**

**विषय:** **पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में अतिरिक्त भौतिक व वित्तीय लक्ष्य आवंटन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधारित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक **पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति से प्रदेश के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के लक्ष्यों की पूर्ति जनपदीय मांग के अनुरूप पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिया गया है :-**

**(क) जनपदीय मांग के अनुसार राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से प्रदेश की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना की वित्तीय सीमा के अन्तर्गत अन्तर-जनपदीय लक्ष्यों के हस्तान्तरण हेतु निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया जाता है।**

**(ख) वार्षिक कार्ययोजना में ड्रिप सिंचाई के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न हो सकने की स्थिति में कृषकों की मांग के अनुरूप मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट/पोर्टेबुल/रेनगन स्प्रिंकलर में अन्तर परिवर्तित किया जा सकता है।**

भवदीय,

**(सुधीर गर्ग)**
प्रमुख सचिव ।

**संख्या-02/2019-235(1)/58-2019, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उत्तर प्रदेश।
(4) नोडल अधिकारी पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन निदेशालय उद्यान लखनऊ।
(5) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/ अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(इन्दुबाला कटियार)**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in